

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यावाही मय इनिशियल्स जज

राजीनाम

~~क~~ में अंकित विवाहित आराजीयात का सीमा-
जान करवाया जाकर पाप्परगढी करवायी जावे। पाप्पर
गढी का समस्त हजा-स्वर्चा वार्दी द्वारा बढनाकेया
नावेगा। आदेश की पालना हेतु तहरीर तहसीलदार
सवाई माधोपुर को भेजी जावे। पक्ष कारण उक्त
प्रकरण में डूटे हर्ज स्वर्च को स्वमं बढव करे। तद-
नानुसार डेकी जारी की जावे। पत्रावली जिसल
शुमार हो कर नम्बर से कम की जाकर बारकेल
दफतर हो।

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

नाम न्यायालय उप जिला कलेक्टर

स्थान

सवाई माधोपुर

1. कैलाशी देवी पत्नी बिलास जाति माली
2. बिलास पुत्र कल्याण
3. रमेश पुत्र बिलास
4. बाबूलाल पुत्र बिलास
5. शंकर पुत्र बिलास
6. मुकेश पुत्र बिलास जातियान माली निवासीयान कुरुतला तहसील व जिला सवाई माधोपुर
7. रामप्रसाद पुत्र सुखपाल जाति माली निवासी आलनपुर छाबडी चौक तहसील व जिला सवाई माधोपुर
8. तहसीलदार लैण्ड होल्डर सवाई माधोपुर

सीमा गर्ग पत्नी पवन गर्ग जाति
महाजन निवासी खत्री का बाग
रणथमौर रोड सवाई माधोपुर

बनाम

मु०न० ३९/२०२४

सन्

२०२४

दावा बाबत रथाई निषेधाज्ञा

वादी की ओर से श्री रघुनन्दन सिंह राजावत एड० और प्रतिवादी संख्या की ओर से श्री भोलाशंकर शर्मा एड० की उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 13.06.2024 को श्री अनिल कुमार चौधरी (आर.ए.एस) के समक्ष निपटारों के लिए पेश होने पर आदेश किया गया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद पत्र राजीनामों के आधार पर स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सवाई माधोपुर को आदेशित किया जाता है कि राजीनामा आदेश का अंश रहेगा। वादपत्र में अंकित उभयपक्षकारान की उपस्थिति में राजीनामा में अंकित विवादित आराजीयात का सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगढी करवायी जावें। पत्थरगढी का समस्त हर्जा खर्च वादी द्वारा वहन किया जावेगा। पक्षकारान उक्त प्रकरण में हुऐ हर्ज खर्च को स्वयं वहन करें।

इस बाद के खर्च लेखें X रूपया की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर X प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित X द्वारा X को दी जाए। यह आज तारीख 13.06.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई

वाद के खर्च

वादी	रूपया	पैसे	प्रतिवादी	रूपया	पैसे
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प	02	00	शाक्ति पद के लिए स्टाम्प	02.00	
2 शाक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	02	00	अर्जी के लिए स्टाम्प	000	
3 प्रदेशाके लिए स्टाम्प रू० पर	00	00	प्लीडर की फीस	0.00	
4 प्लीडर की फीस	00	00	साक्षियों के निर्वाह व्यय	0.00	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00	आदेशिका की तामील	00.00	
6 कमिश्नर की फीस	00	00	कमिश्नर की फीस	0.00	
7 आदेशिका की तामील	03	00			
जोड	07.00	00	जोड	02.00	

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर